न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रावतसर, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी —: **राजन खत्री,**
R.J.S.(DJ Cadre)

विविध दीवानी (एन) CIS प्रकरण संख्या —: 04 / 2026

रामस्वरूप पुत्र स्व. मोहनलाल, उम्र 43 वर्ष, निवासी ढाणी माहेला, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

— प्रार्थी

बनाम

1. हर आम व खास ।
2. ब्लॉक कोर्डिनेटर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पंचायत समिति, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

— अप्रार्थीगण

3. देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मोहनलाल, निवासी ढाणी माहेला, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।
4. शान्ती देवी पत्नी स्व. मोहनलाल, निवासी ढाणी माहेला, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थिति :–

01. श्री संतलाल बिजारणीया, अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
02. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।
03. श्री श्रवण कुमार वर्मा, अधिवक्ता – अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक –: 01–07–2026**

01. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत मृतक मोहनलाल के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से अप्रार्थीगण हर आम व खास आदि के विरूद्ध दिनांक 05–01–2026 को प्रस्तुत किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता मोहनलाल की दिनांक 11.03.2020 को मृत्यु हो चुकी है।

प्रार्थी के पिता मोहनलाल के देहान्त के बाद उसके जायज वारिसों में प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र व तरतीबी अप्रार्थी देवेन्द्र कुमार पुत्र, शान्तीदेवी पत्नी है। प्रार्थी के पिता के नाम से रोही मौजा ढाणी माहेला, तहसील पल्लू के खसरा नं. 1083, 1156, 889, 892/1, 901 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो वर्तमान में प्रार्थी व तरतीबी पक्षकारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में वर्ष 2020–21 मं ढाणी माहेला की कृषि भूमि खरीफ व रबी की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिवादी सं. 2 की बीमा कम्पनी से फसल बीमा करवाया था, जिसकी पॉलिसी/रसीद सं. 040108201010615967201से क्षतिपूर्ति राशि 88,581 रूपये व 04010820101067697920 1 से क्षतिपूर्ति राशि 2,45,740 रूपये है, कुल 3,34,321/–रूपये है, जो प्रार्थी के पिता के फौत होने के बाद, प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रार्थी के पिता ने अपनी उक्त बीमा पॉलिसी की राशि हेतु अपने जीवनकाल में किसी को भी अपना कोई नोमिनी नियुक्त नहीं किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने अप्रार्थी सं. 2 को उक्त फसल बीमा की राशि देने को कहा, तो अप्रार्थी सं. 2 ने उतराधिकार प्रमाण पत्र के बिना उक्त राशि देने से इन्कर कर दिया। अंत में प्रार्थना पत्र वांछित अनुतोष अनुसार स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

03. इस प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थी हर आम खास एवं अन्य के नाम से नोटिस जारी किए गए एवम् अखबार में सूचना प्रकाशित करने के आदेश पारित किए गए, जिस पर दिनांक 05–03–2026 को अखबार में सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रति पेश की गई। हर आम खास की तामील नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। मृतक के अन्तिम निवास स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा की गई, लेकिन प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध स्वरूप हर आम व खास की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 05.03.2026 को अप्रार्थी हर आम व खास के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक 06.05.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अनापत्ति जाहिर की।

04. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार से है –:

> **"आया प्रार्थी, मृतक मोहनलाल के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करवाये गए फसल बीमा पॉलिसी की राशि को बीमा कम्पनी से प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करवाने का अधिकारी है ?"**

05. साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में ए.ड. 1 रामस्वरूप को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में असल आधार काड रामस्वरूप प्रदर्श–1 व फोटो प्रति प्रदर्श–1ए, जमाबंदी प्रदर्श–2, अखबार साया प्रति प्रदर्श–3 को प्रदर्शित करवाया।

06. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवम् दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 मृतक मोहनलाल के उत्तराधिकारी हैं और वे मृतक मोहनलाल के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करवाये गए फसल बीमा पॉलिसी की राशि को बीमा कम्पनी से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अंत में प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निवेदन किया।

07. प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु पर न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है :–

–: विचारणीय बिन्दु :–

08. विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने का भार प्रार्थी पर था, जिसके तहत प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि प्रार्थी मृतक मोहनलाल के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करवाये गए फसल बीमा पॉलिसी की राशि को बीमा कम्पनी से प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करवाने का अधिकारी है।

09. इस सम्बन्ध में ए.ड. 1 रामस्वरूप, जो कि मृतक का पुत्र है, ने जरिए शपथ–पत्र सशपथ कथन किए हैं कि प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में वर्ष 2020–21 मं ढाणी माहेला की कृषि भूमि खरीफ व रबी की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिवादी सं. 2 की बीमा कम्पनी से फसल बीमा करवाया था, जिसकी पॉलिसी/रसीद सं. 040108201010615967201से क्षतिपूर्ति राशि 88,581 रूपये व 04010820101067697920 1 से क्षतिपूर्ति राशि 2,45,740 रूपये है, कुल 3,34,321/–रूपये है। प्रार्थी के पिता ने अपनी उक्त बीमा पॉलिसी की राशि हेतु अपने जीवनकाल में किसी को भी अपना कोई नोमिनी नियुक्त नहीं किया है, इसलिए प्रार्थी वारिस होने से उक्त फसल बीमा की राशि को प्राप्त करने के हकदार होने से उतराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करवाने के अधिकारी है।

10. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन अप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है।

11. प्रार्थना पत्र के अनुसार मृतक मोहनलाल के कुल 3 वारिस होना बताए गए हैं तथा मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 11–03–2020 को होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध हर आम व खास को जारी किए गए नोटिस के सम्बन्ध में अखबार की प्रति पेश की गई है एवं हर आम खास की तामील नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। मृतक के अन्तिम निवास स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा की गई, एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई, लेकिन प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध स्वरूप हर आम व खास की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अनापत्ति जाहिर की है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी मृतक मोहनलाल का पुत्र है। उपर्युक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मृतक मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में वर्ष 2020–21 मं ढाणी माहेला की कृषि भूमि खरीफ व रबी की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिवादी सं. 2 की बीमा कम्पनी से फसल बीमा करवाया था, जिसकी पॉलिसी/रसीद सं. 040108201010615967201से क्षतिपूर्ति राशि 88,581 रूपये व 04010820101067697920 1 से क्षतिपूर्ति राशि 2,45,740 रूपये, कुल 3,34,321/–रूपये है। प्रार्थी के पिता ने अपनी उक्त बीमा पॉलिसी की राशि हेतु अपने जीवनकाल में किसी को भी अपना कोई नोमिनी नियुक्त नहीं किया है, इसलिए उक्त फसल बीमा राशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 मृतक मोहनलाल का जायज वारिसान होने के कारण उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है, अतः विचारणीय बिन्दु उक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

–: अनुतोष :–

13. चूंकि प्रार्थी प्रकरण के विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, इस कारण प्रार्थी को मृतक मोहनलाल के विधिक उत्तराधिकारी होने से उत्तराधिकारी घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

14. फलतः प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र स्व. मोहनलाल, उम्र 43 वर्ष, निवासी ढाणी माहेला, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 को मृतक मोहनलाल के द्वारा वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिवादी सं. 2 की बीमा कम्पनी से फसल बीमा पॉलिसी/रसीद सं. 040108201010615967201 से क्षतिपूर्ति राशि 88,581 रूपये व 040108201010676979201 से क्षतिपूर्ति राशि 2,45,740 रूपये, कुल 3,34,321/–रूपये को प्राप्त करने के लिए विधिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। नियमानुसार न्याय–शुल्क प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

साथ ही प्रार्थी उपर्युक्त राशि बाबत् इस न्यायालय के समक्ष इतनी ही राशि हेतु प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित करें कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा यदि मृतक मोहनलाल का वारिस अन्य किसी को नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य तरीके से सिविल न्यायालय की डिक्री में आदेश हो तो वह उपर्युक्त राशि मय बैंक ब्याज सहित न्यायालय को लौटा देगा। यह बंधपत्र निष्पादित होने के पश्चात् ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हो।

(राजन खत्री)
अपर जिला न्यायाधीश रावतसर
जिला–हनुमानगढ़

15. निर्णय आज दिनांक **01–07–2026** को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)
अपर जिला न्यायाधीश रावतसर
जिला–हनुमानगढ़